

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री रतनलाल पुत्र लोभचन्द जी, जाति- सालबी, निवासी- हनुमान कॉलोनी, भाटकडा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरौही, जिला- सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 07/2020

“अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 25 सितम्बर, 2020

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 79/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 बाबत ग्राम सिरौही के खसरा संख्या 3123 रकबा 0.0120 हेक्टेयर किस्म ब-1 भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- (2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान परोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।
- (3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए जुर्माना आरोपित करने एवं मौके से बेदखल करने आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। यह कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का गरीब परिवार का सदस्य है जो सिरौही नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में अपने परिवार सहित निवास कर मजदूरी कर जीविकोपार्जन करता है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर अपने जीवन की गाढी कमाई लगाकर अपने रहवास हेतु मकान, शौचालय व बाथरूम आदि का निर्माण करवाया है व विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। अपीलार्थी गत 30 वर्षों से विवादित भूमि पर आवास करता आ रहा है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पुराना कब्जा व आवास है। विवादित भूमि के अलावा अपीलार्थी के आवास हेतु कोई मकान/भूमि उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि नगर परिषद्, सिरौही की सीमा क्षेत्र में स्थित है जिस पर अपीलार्थी के अलावा कई गरीब तबके के परिवार निवास कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिये गये हैं कि जो भूमि नियमन की पात्रता रखते हैं उस भूमि का .....पेज दो पर



गति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)



नियमन किया जावे। राज्य सरकार की मंशा है कि गरीब तबके के लोगों को आवास हेतु भूमि का नियमन किया जाना चाहिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है एवं न ही हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम सुनवाई तिथि पर ही अपीलार्थी के पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट नंबर 233/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.9.2020 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं कि अतिक्रमण के नाम पर भूमिहीन लोगों को बेदखल नहीं किया जावे एवं सरकार भूमिहीन लोगों के बसने के लिये जमीन और मकान की व्यवस्था करे। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान परोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिरोही-II द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3123 रकबा 0.0120 हेक्टेयर किस्म ब-1 भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने व मकान निर्माण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने बचाव में जवाब व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(गितेश श्री मालवीया)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरोही